आवश्यक/महत्वपूर्ण

पत्रसंख्या–से0वा0अनु0–निर्देश/2019–20/ 762 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0 प्र0
(सेवावाद अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 05 सितम्बर, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विभाग के अधीन विभिन्न कार्मिकों द्वारा माननीय लोक सेवा अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट/निर्देश याचिकाओं में यह बिन्दु उठाया जा रहा है कि अनुशासन एवं अपील नियमावली–1999 के नियम–7(चार) में दिये गये प्राविधान/आदेश के अनुसार अपचारी कार्मिक को मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक, स्थान एवं समय निर्धारित करते हुये व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई हेतु दिनांक, समय एवं स्थान निर्धारित करते हुये सुनवाई का अवसर न प्रदान करने को नैसर्गिक न्याय तथा अनुशासन एवं अपील नियमावली–1999 में दिये गये प्राविधानों के प्रतिकूल मानते हुये सम्पूर्ण जाँच प्रक्रिया को ही दूषित मानकर दण्डादेश को समाप्त कर दिया जा रहा है। प्रायः यह देखने में आया है कि अपचारी कार्मिकों के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच अधिकारी के स्तर पर व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई हेतु दिनांक, समय एवं स्थान निर्धारित करते हुये सुनवाई का अवसर या तो नहीं दिया जा रहा है अथवा अवसर दिया गया है तो उसका उल्लेख प्रस्तुत जाँच आख्याओं में नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण रिट/निर्देश याचिकाओं में याचीकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर न दिये जाने का मामला उठाया जा रहा है। मुख्यालय एवं उच्च न्यायालय कार्य के समक्ष जाँच अधिकारी की पत्रावली नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का अवसर दिया गया है अथवा नहीं। संबंधित जाँच अधिकारी से जाँच पत्रावली मगाँये जाने में अत्यधिक समय नष्ट होता है तथा कभी–कभी माननीय न्यायालय द्वारा मात्र एक अथवा दो दिन का ही समय इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये दिया जाता है, एवं ऐसी परिस्थिति में पत्रावली मगाँया जाना लगभग असंभव है। अतः जाँच कार्यवाही के दौरान जाँच अधिकारी के लिये शासन एवं मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश हैं कि खुली जाँच में संबंधित अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का कम से कम एक अवसर दिनांक, स्थान एवं समय निर्धारित करते हुये जाँच अधिकारी के स्तर से अवश्य दिया जाना चाहिये, ताकि याची को माननीय न्यायालय में यह कहने का अवसर न प्राप्त हो कि उसे नैसर्गिक न्याय एवं दिये गये प्राविधान के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में ही यह स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिये कि अपचारी कार्मिक को उसके विरूद्ध खुली जाँच में नियमानुसार अमुक पत्रांक, दिनांक, स्थान एवं समय निर्धारित करते हुये व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, जिसका लाभ अमुक तिथि को अपचारी कार्मिक द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर उठाया गया। यदि यह कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुशासनिक कार्यवाही के विहित

प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन नहीं हो पाता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा इस सम्पूर्ण जाँच रिपोर्ट को दूषित मानते हुये इसका लाभ याचीकर्ता को दे दिया जाता है।

अतः आप से अपेक्षा की जाती है कि आपके जोन में विभिन्न अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में जो जाँच अधिकारी नियुक्त हैं, उन्हें उक्त निर्देशों से अवगत कराते हुये सुसंगत शासनादेशों के आधार पर नियमानुसार जाँच कार्यवाही पूर्ण करके जाँच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक :– उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप सचिव कर एवं निबन्धन, अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु ।
4- अपर निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य कर, लखनऊ।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (सेवावाद) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।